फर्द अहकाम

बंशी व अन्य बनाम छीतर व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्याः ...345/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.11.2024	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया । व वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादगस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में गोपाल के फोत होने पर उसकी विरासत का नामन्तकरण अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के हक मे खालते समय अप्रार्थी संख्या 1 छीतर पुत्र घासी के सहवन से हिस्सा 3/8 गोरधन , सुल्तान, श्रवण, लक्ष्मीनारायण का हिस्सा 4/5 व कमली ,राजू व रामस्वरूप के हिस्सा 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि वास्तविक में अप्रार्थी संख्या 1 छीतर पुत्र घासी का हिस्सा 3/4 में से हिस्सा 1/6, गोरधन , सुल्तान, श्रवण, लक्ष्मीनारायण के हिस्सा 3/4 में सें प्रत्येक का हिस्सा 1/6–1/6 व कमली , राजु व रामस्वरूप के हिस्सा 3/4 में से हिस्सा 1/6 किया जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड , प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर एक्ट 136 का आधोपांत अवलोकन कर [illegible] वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन करने पर [illegible] है कि वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 1 दिनांक 16/06/1988 ग्राम जगतश्रवणपुरा, पटवार हल्का मुहाना तहसील सांगानेर में मंगला पुत्र नारायणसिंह हिस्सा 3/4 , भूरा पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/4 कौम मीना सा. देह खातेदार विरासत गौरधन, सुल्तान, श्रवण,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:31:31 IST
Reason: SelfAttested

बंशी व अन्य बनाम छीतर व अन्य

[illegible]

1/8 फौत मीना सा. देह खातेदार विरासत गोरधन, सुल्तान, श्र लक्ष्मीनारायण , गोपाल पि. मंगल व छीतर पुत्र घासी हिस्सा ब राजू, बाबूलाल, चौथू पिता भूरा हिस्सा 1/4 व हिस्सा 3/4 , राजू, बाबूलाल, चौथू पिता भूरा हिस्सा 1/4 मीना सा. देह खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त भूमि खातेदार गो के फौत होने पर गोपाल की विरासत का नामान्तकरण अप संख्या 2 लगायत 4 के हक में मिलते समय राजस्व कर्मचारि द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 छीतर पुत्र घासी के सहवन से हिस्सा 3/ , गोरधन , सुल्तान, श्रवण, लक्ष्मीनारायण का हिस्सा 4/5 कमली , राजू व रामस्वरूप के हिस्सा 1/5 दर्ज किया गया गलत दर्ज कर दिया गया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 गोरधन ,सुल्ता श्रवण, लक्ष्मीनारायण के हिस्सा 3/4 में से प्रत्येक का हिस्सा 1/ –1/6 तथा कमली, राजू, व रामस्वरूप के हिस्सा 3/4 में 1/6 हिस्सा यानि प्रत्येक का हिस्सा 1/8 दर्ज किया जाना चाहि या जिसे हम दुरूस्त करना उचित समझते है अतः अप्रार्थीगण क प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम –1956 क स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 0.17 है0, 101 रकबा 0.69 है0 , 102 रकबा 0.58 है0 103 रकबा 0.81 है0, 104 रकबा 0.52 है0, 105 रकबा 0.23 है0 106 रकबा 0.04 है0, 107 रकबा 0.44 है0, 108 रकबा 0.71 है0 109 रकबा 0.70 है0, 110 रकबा 0.08 है0, 111 रकबा 0.01 है0 112 रकबा 0.23 है0, 113 रकबा 1.10 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 6.30 है0 वाके ग्राम जगतश्रवणपुरा तहसील सांगानेर मे अप्रार्थी संख्या 1 छीतर पुत्र घासी का हिस्सा 3/4 में से 1/6 , गोरधन , सुल्तान, श्रवण, लक्ष्मीनारायण के हिस्सा 3/4 में से प्रत्येक का हिस्सा 1/6–1/6 व कमली, राजू व रामस्वरूप के हिस्सा 3/4 में से हिस्सा 1/6 दर्ज किया जावे । इस प्रकार हाल राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। साथ ही इन्द्राज पूर्व हिस्सा को कलमजन किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सांगानेर जो पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:31:31 IST
Reason: SelfAttested

Read

न्यायाल

प्रार्थना पत्र सं

1. बंशी पुत्र
2. पप्पू पुत्र
3. सीताराम
4. मोतीला

जातिय

पटवार

1. छीतर
2. कमल
3. राजू
4. राम
5. दिने
6. राम
7. बर